

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2024 (आषाढ़ 14, 1946)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जगदीश देवडा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड-2 की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1, तथा

(ख) द स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं

(ii) मध्यप्रदेश वित्त निगम का 68 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-7-0003-2024-सात-शा.7, भोपाल, दिनांक 14 मई, 2024 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, द वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री नागर सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन (मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) -

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार द मध्यप्रदेश स्टेट मार्ईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 58 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार डी.एम.आई.सी.पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्रीमती अर्चना चिट्ठनीस, सदस्य, बुरहानपुर नगर की जल आवर्धन योजना का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में रपटा एवं सङ्क मार्गों का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले के चेरीताल वार्ड अंतर्गत सी.सी.रोड निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने,

(2) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के भाण्डेर टी.वी. टावर से बैरच्छ घाट तक पक्की रोड निर्माण कराये जाने,

- (3) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले की वि.स. क्षेत्र 111 में संचालित समस्त विद्यालयों के नवीन भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने,
- (4) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम झील पिपरिया शासकीय हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,
- (5) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के अटेर अंतर्गत ग्राम बीसलपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने,
- (6) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के नगर परिषद हटा में दशहरा मैदान बनाये जाने,
- (7) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम बडोनकला अंतर्गत सोय नदी पर स्टापडेम कम वीपरवाल स्वीकृत करने,
- (8) श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य, झावुआ जिले के ग्राम कालीगांव दोतड अंतर्गत अनास नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (9) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत वार्ड क्र.-7 की शीतला कॉलोनी के पीछे सड़क, स्ट्रीट लाईट एवं पीने के पानी की व्यवस्था कराये जाने,
- (10) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे, सदस्य, कटनी जिले के बहोरीबंद अंतर्गत ग्राम पड़रिया को राजस्व ग्राम घोषित करने,
- (11) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम मायावार में पुलिया का निर्माण कराये जाने,
- (12) श्री विपीन जैन, सदस्य, मन्दसौर जिले के शासकीय उच्च. मा. वि. दलोदा स्टेशन में अतिरिक्त कक्ष एवं बाउण्डीवॉल का निर्माण कराये जाने,
- (13) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी नगर में साहित्य सदन का निर्माण कराये जाने,
- (14) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम बांगरोद शास.उ.मा.वि. का नवीन भवन निर्माण कराये जाने,
- (15) श्री प्रह्लाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम पोड़ीकला अंतर्गत खमरिया में सिंचाई हेतु बांध का निर्माण कराये जाने,
- (16) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत बम्हनी की कठना नदी पर स्टापडेम का निर्माण कराये जाने,
- (17) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम शाह स्थित हतुमानजी मंदिर तालाब पर घाट का निर्माण कराये जाने,
- (18) श्री अरुण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के बैरछा में विश्राम गृह का निर्माण कराये जाने,
- (19) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम कन्हडगांव से बम्हनी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (20) श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम धावड़ी में गोई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (21) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के गोरा-सरकनपुर चौराहे से मड़ोरी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (22) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, निवाड़ी जिले के ग्राम मढ़िया झांसी-टीकमगढ़ रोड से झिन्नन खिराक सिद्ध बाबा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (23) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के सेवड़ा अंतर्गत देखड़ी से विजयपुरा मार्ग तक पक्की सड़क निर्माण कराये जाने,
- (24) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के करैरा अंतर्गत महुअर नदी पर बने नावली डेम से माइक्रो सिंचाई योजनांतर्गत भूमि को सिंचित कराये जाने,
- (25) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले की ग्राम पंचायत लुन्हेरा बुर्जुर्ग (भुरियाकुवा) से मुख्य मार्ग तक सी.सी. रोड का निर्माण कराये जाने,
- (26) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार, सदस्य, मुरैना जिले की ग्राम पंचायत सैथरा अहीर में नवीन सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
- (27) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले की बगलई, आमाकोल एवं अन्य ग्रामों की शासकीय हाई स्कूलों को हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन किये जाने,
- (28) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम डुंगरहो में नहर के ऊपर छोटा पुल निर्माण कराये जाने,
- (29) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर जिले के वार्ड क्र.22 में पी.एन.टी. चौराहे से न्यू जीवाजी नगर तरुण विहार तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (30) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम सुजापुर शा. हायर सेकेण्ड्री स्कूल एवं बालिका छात्रावास के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,
- (31) श्री ऋषि अग्रवाल, सदस्य, गुना जिले के बमोरी अंतर्गत ग्वारखेड़ा नदी में डायर्वर्जन निर्माण कर कलौरा तालाब से पानी पहुंचाये जाने,
- (32) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम अम्बाडोचर से छेष्डीया तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (33) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम जावी से मानपुरा चौराहे तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (34) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य, शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत फुलीपुरा मेन रोड से बालापुर मेन रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (35) श्री आरिफ मसूद, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र.-51 शाहपुरा ए-सेक्टर से मनीषा मार्केट तक नाले का निर्माण कराये जाने,
- (36) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य, छतरपुर जिले के बिजावर अंतर्गत ग्राम पारवा शास.हाई स्कूल का शास. हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (37) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, सागर जिले के लक्ष्मीपुरा वार्ड में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
- (38) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य, मैहर जिले के ग्राम भदनपुर (पहाड़) में आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के बच्चों को पाठन हेतु बालक छात्रावास बनवाये जाने,
- (39) श्री आतिफ आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल जिला अंतर्गत पुराने भोपाल में सब आर.टी.ओ. ऑफिस की स्थापना कराये जाने,
- (40) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ शहर के वाटर प्लांट वरीघाट पर कार्य न कर धसान नदी से डायर्वर्जन स्वीकृत किये जाने,
- (41) श्री महेन्द्र नागेश, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम मचवारा में नहर किनारे WBM रोड का निर्माण कराये जाने,
- (42) श्री कामाल्या प्रताप सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम गरौली अंतर्गत राजेन्द्र चतुर्वेदी के खेत के पास सीलम नदी पर चैक डेम का निर्माण कराये जाने,
- (43) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के सरदारपुर अंतर्गत मौरगांव एवं दसई में मांगलिक भवन का निर्माण कराये जाने,
- (44) श्री अमरसिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम सडियाकुंआ, नाईहेड़ा एवं अन्य ग्रामों में हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में भवन निर्माण कराये जाने,

- (45) श्री धनश्याम चन्द्रवंशी, सदस्य, शाजापुर जिले के कालापीपल-खमलाय-अमलाय मार्ग को टू लेन में परिवर्तित करने,
- (46) डॉ. चिंतामणि मालवीय, सदस्य, रतलाम जिले के ताल अंतर्गत नगर परिषद भवन का निर्माण कराये जाने,
- (47) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य, धार जिले के ग्राम छाव्हकुवा से दसाण तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (48) श्रीमती रीती पाठक, सदस्य, सीधी जिले के बस स्टेंड से रीवा रेल्वे स्टेशन तक सूत्र सेवा बस सर्विसेस संचालित कराये जाने,
- (49) श्री केदार चिङ्गाभाई डावर, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम केशवपुरा, डालकी एवं अन्य ग्रामों के हाई स्कूलों का हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन किये जाने,
- (50) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम दादर में संचालित हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन करने,
- (51) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य, शहडोल जिले के बनसुकुली हरचोखा जनकपुर के पास बनास नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,
- (52) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, सदस्य, सीहोर जिले के आष्टा अंतर्गत ग्राम मेहंतवाड़ा से भाटीखेड़ा पहुंच मार्ग स्थित नेवज नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,
- (53) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी मुख्यालय स्थित नवीन हायर सेकेण्ड्री स्कूल एवं गल्स हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने,
- (54) श्री नारायण सिंह 'पट्टा', सदस्य, मण्डला जिले के घुघरी अंतर्गत क्राईस्ट ज्योति विद्यालय से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगल भवन तक दोनों ओर पक्की नाली निर्माण कराये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित

समय

1 घण्टा

(1) श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सुधारात्मक

सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(2) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन

तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(3) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)

संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(4) श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गौवंश वधु प्रतिषेध (संशोधन)

विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर

(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली

दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.

(1)	मांग संख्या – 1	सामान्य प्रशासन
	मांग संख्या – 2	विमानन
	मांग संख्या – 3	गृह
	मांग संख्या – 5	जेल
	मांग संख्या – 11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
1 घण्टा	मांग संख्या – 21	लोक सेवा प्रबंधन
30 मि.	मांग संख्या – 25	खनिज साधन
	मांग संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य
	मांग संख्या – 32	जनसंपर्क
	मांग संख्या – 41	प्रवासी भारतीय
	मांग संख्या – 46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
	मांग संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास
	मांग संख्या – 57	आनंद.
1 घण्टा	(2) मांग संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	मांग संख्या – 52	चिकित्सा शिक्षा.
1 घण्टा	(3) मांग संख्या – 33	जनजातीय कार्य
	मांग संख्या – 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वासि
	मांग संख्या – 45	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन.

30 मि.	(4) मांग संख्या – 22 मांग संख्या – 28	नगरीय विकास एवं आवास राज्य विधान मण्डल.
1 घण्टा	(5) मांग संख्या – 18 मांग संख्या – 30 मांग संख्या – 40	श्रम ग्रामीण विकास पंचायत.
30 मि.	(6) मांग संख्या – 6 मांग संख्या – 7 मांग संख्या – 31	वित्त वाणिज्यिक कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी.
30 मि.	(7) मांग संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य.
30 मि.	(8) मांग संख्या – 8	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय.
30 मि.	(9) मांग संख्या – 27 मांग संख्या – 36	स्कूल शिक्षा परिवहन.
30 मि.	(10) मांग संख्या – 23	जल संसाधन.
30 मि.	(11) मांग संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.
30 मि.	(12) मांग संख्या - 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास.
30 मि.	(13) मांग संख्या - 55	महिला एवं बाल विकास.
30 मि.	(14) मांग संख्या - 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.
30 मि.	(15) मांग संख्या - 43 मांग संख्या - 17	खेल और युवा कल्याण सहकारिता.
1 घण्टा	(16) मांग संख्या - 34 मांग संख्या - 50	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण.
30 मि.	(17) मांग संख्या - 4 मांग संख्या - 10 मांग संख्या - 49	पर्यावरण वन अनुसूचित जाति कल्याण.
30 मि.	(18) मांग संख्या - 12	ऊर्जा.
30 मि.	(19) मांग संख्या - 9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा.
30 मि.	(20) मांग संख्या - 35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम.
1 घण्टा	(21) मांग संख्या - 44 मांग संख्या - 38 मांग संख्या - 47	उच्च शिक्षा आयुष तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार.
1 घण्टा	(22) मांग संख्या - 15 मांग संख्या - 53 मांग संख्या - 54	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति अल्प संख्यक कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण.
30 मि.	(23) मांग संख्या - 26 मांग संख्या - 37 मांग संख्या - 51	संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व.
30 मि.	(24) मांग संख्या - 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग.
30 मि.	(25) मांग संख्या - 14	पशुपालन एवं डेयरी.
1 घण्टा	(26) मांग संख्या - 16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवडा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 18 सन् 2024) का पुरस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. वर्ष 2014-2015 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवडा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), वर्ष 2014-2015 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित
समय

9. वर्ष 2014-2015 के आधिक्य व्यय की अनुदान मांगों पर मतदान.

20 मि.

श्री जगदीश देवडा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे-

“दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 6 एवं 42 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को चार सौ छत्तीस करोड़, बारह लाख, छिह्न्तर हजार रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.”

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवडा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024) का पुरस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

11. अशासकीय संकल्प.

35 मि.

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि इटारसी भोपाल के मध्य मेमो ट्रेन चलाई जाए.”.

35 मि.

(2) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि पश्चिम मध्य रेल्वे के खन्ना बंजारी स्टेशन का नाम परिवर्तित कर “बरही नगर” किया जाए.”.

35 मि.

(3) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30, जो अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषायी आधार पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है, को समाप्त किया जाए.”.

भोपाल :

दिनांक : 4 जुलाई, 2024

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.